मेरी भर्ती, मेरा विकल्प, मेरा फैसला

NSW के सरकारी अस्पतालों में **भर्ती** किए जाने के समय, Medicare कार्ड धारकों के पास सरकारी या गैर-सरकारी रोगी (पब्लिक या प्राइवेट पेशेंट) के तौर पर इलाज करवाने का **विकल्प** होता है। इसे आपका आर्थिक **फैसला** कहा जाता है। फैसला लेने का विकल्प आपको भर्ती किए जाने से पहले, या भर्ती किए जाते समय, या भर्ती किए जाने के बाद जितनी जल्दी व्यावहारिक हो सके, लिया जा सकता है।

फैसला लेने के आपके विकल्प:

गैर-सरकारी रोगी – अपने स्वास्थ्य बीमा का प्रयोग करना

एक गैर-सरकारी रोगी के तौर पर आपको निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

विशेषज्ञ देखभाल

हो सकता है कि आपका इलाज आपके द्वारा चयन किए गए विशेषज्ञ या किसी नामांकित विशेषज्ञ द्वारा किया जाए जिससे आपको एक समर्पित व्यवसायिक द्वारा आपकी देखभाल का प्रबंध करने का लाभ मिले। आपका विशेषज्ञ आपके इलाज और आगे की किसी देखभाल का प्रबंध करेगा।

गैर-सरकारी अस्पताल में स्थानांतरण

हो सकता है कि आप आगे के इलाज या आगे की देखभाल के लिए किसी गैर-सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के लिए पात्र हों। कृपया स्थानांतरण के विकल्पों की चर्चा अपना इलाज करने वाले विशेषज्ञ के साथ करें।

सिंगल रूम की सेवा

आपको बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हमारे अस्पताल में सिंगल रूम सुलभ होगा, यदि यह उपलब्ध हो तो। जो रोगी बहुत अस्वस्थ हों, उन्हें सिंगल रूम के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

हेल्थ फंड ऐक्सेस

ऐक्सेस या सह-भुगतान वह राशि होती है जिसका भुगतान आप अस्पताल में अपना इलाज किए जाने के खर्च के भाग के तौर पर करते/करती हैं। आपकी ऐक्सेस राशि आपकी हेल्थ फंड पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर करेगी। अधिकांश मामलों में NSW के सरकारी अस्पताल ऐक्सेस या सह-भुगतान पर पूरी छूट देंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में आपकी भर्ती के दौरान आपके द्वारा बिताए समय में आपकी जेब से कोई खर्च न हो।

आपका हेल्थ फंड आपको आपके ऐक्सेस या सह-भुगतान की सूचना देने के लिए आपसे संपर्क कर सकता है परन्तु आपको भुगतान करने की ज़रुरत केवल तभी होगी यदि अस्पताल के स्टॉफ का कोई सदस्य आपको ऐसा करने के लिए कहे।

एक गैर-सरकारी रोगी के तौर पर यह ज़रुरी है कि आपको आपके फैसले की प्रक्रिया के भाग के रुप में सूचित वित्तीय सहमति प्रदान की जाए।

सूचित वित्तीय सहमति

सरकारी अस्पतालों के लिए यह ज़रुरी है कि वे गैर-सरकारी रोगी के फैसले की वित्तीय जिम्मेदारियों का स्पष्ट विवरण प्रदान करें। इसमें अस्पताल में भर्ती से पहले या जितनी जल्दी परिस्थितियाँ यथोचित तरीके से ऐसा करने की अनुमति दें, सभी प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं द्वारा आपकी जेब से होने वाले संभावित खर्च (गैप – अंतर) की सूचना देना शामिल है।

हम यह सलाह देते हैं कि आप अपने हेल्थ फंड के साथ यह पुष्टि करें कि आपको अपनी भर्ती के लिए कवर (बीमे द्वारा सुरक्षित) किया जाएगा। अस्पताल सदस्यता पात्रता जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपके पास अपनी भर्ती के लिए उचित कवर (बीमे द्वारा सुरक्षा) है।

अस्पताल के एकाउंट्स

अस्पातल से आने वाले निम्नलिखित एकाउंट्स (बिलों) के लिए आपको अपनी जेब से कोई खर्च नहीं करना होगा:

आवास और मेडिकल/सर्जिकल तौर पर इम्पलांट किए गए डिवाइस (कृत्रिम अंग)

इसमें बेड फीस, भोजन, नर्सिंग और अलाएड हेल्थ केयर शामिल है। इनवॉइस आपकी ओर से आपके प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस (गैर-सरकारी स्वास्थ्य बीमाकर्ता) को जमा करवाई जाएँगी।

रोग-निदान (पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी) **तथा विशेषज्ञ कर्मचारी** (अस्पताल द्वारा नियुक्त डॉक्टर)।

सभी एकाउंट्स आपकी ओर से Medicare और आपके प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस को जमा कराए जाएँगे। इसमें कोई 'गैप – अंतर' (आपकी जेब से होने वाले भुगतान) नहीं होंगे।

बाहरी एकाउंट्स (बिल)

Private Practice Specialists (निजी प्रैक्टिस विशेषज्ञ) (विज़िटिंग [आगंतुक] चिकित्सीय अधिकारी, माननीय चिकित्सीय अधिकारी और नैदानिक शैक्षणिक) बाहरी सेवा प्रदाता होते हैं। उनके एकाउंट्स आपको सीधे भेजे जा सकते हैं या डॉक्टर की बिलिंग व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हुए Medicare और आपके प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर को जमा कराए जा सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कर्मचारी आपको सूचित करेगा यदि आपका इलाज करने वाला(ले) डॉक्टर गैप (आपकी जेब से होने वाले शुल्क) का भुगतान लेते हैं। सरकार आपके डॉक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाओं के लिए मेडिकेयर बेनेफिट्स शेड्यूल (MBS) फीस निर्धारित करती है। यदि आपका गैर-सरकारी प्रैक्टिस विशेषज्ञ (डॉक्टर) आपसे MBS फीस से अधिक भुगतान लेता है, तो इससे 'गैप –अंतर' (आपकी जेब से होने वाले खर्च) सामने आता है। आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप अपने इलाज से सम्बन्धित संभावित चिकित्सीय खर्च के लिए अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। किसी गैप (आपकी जेब से होने वाले खर्च) का भुगतान अपने गैर-सरकारी प्रैक्टिस विशेषज्ञ को देने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है।

यदि आपको अप्रत्याशित एकाउंट्स मिलते हैं तो कृपया इस दस्तावेज़ के अंत में सूचीबद्ध संपर्क विवरणों का प्रयोग करके अस्पताल को इसकी सूचना दें।

सेल्फ-फंडिड प्राइवेट पेशेन्ट (खुद से खर्च उठाने वाले गैर-सरकारी रोगी)

यदि आपके पास पात्र प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आपको डॉक्टर का चयन करने और सिंगल रूम की सेवा चाहिए तो आप सेल्फ-फंडिड प्राइवेट पेशेन्ट (यानि खुद खर्च उठाने वाले रोगी) होने का चयन कर सकते/सकती हैं। हमारे अस्पताल में सिंगल रूम तक पहुँच केवल तभी उपलब्ध कराई जा सकती है यदि सिंगल रूम उपलब्ध हो। जो रोगी बहुत अस्वस्थ हों उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

सेल्फ-फंडिड प्राइवेट पेशेन्ट के तौर पर निम्नलिखित का भुगतान करने की जिम्मेदारी आपकी होगी:

- आवास (शेयर्ड और सिंगल रूम रेट)
- रोग-निदान (मेडिकल इमेज़िंग और पैथोलॉजी)
- कृत्रिम अंग
- डॉक्टर की फीस

अधिक जानकारी के लिए कृपया इस दस्तावेज़ के अंत में सूचीबद्ध संपर्क विवरणों का प्रयोग करके अस्पताल से संपर्क करें।

सरकारी रोगी (पब्लिक पेशेन्ट)

यदि आप एक सरकारी रोगी के तौर पर भर्ती होने का चयन करते/करती हैं तो आपके पास विशेषज्ञ का चयन करने का विकल्प नहीं होता है – अस्पताल आपकी देखभाल करने के लिए उचित एक या एक से अधिक डॉक्टर उपलब्ध कराएगा।

आपसे अस्पताल से जुड़े आवास, चिकित्सीय और रोग-निदान सेवाओं, कृत्रिम अंग और अन्य प्रासंगिक सेवाओं का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जब आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो आगे की आपकी देखभाल आम-तौर पर अस्पताल की आउटपेशेन्ट क्लिनिक में प्रदान की जाती है।

मुआवजे योग्य (कार्यक्षेत्र पर चोट/वाहन दुर्घटना, लोक दायित्व)

यदि आपकी भर्ती निम्नलिखित कारणवश हुई है:

- **कार्य-संबंधित दुर्घटना/रोग:** आप Workers Compensation System (कर्मचारी मुआवजा प्रणाली) के अधीन कवर्ड (बीमे से सुरक्षित) हैं।
- **वाहन दुर्घटनाएँ:** आप Motor Accidents Scheme (वाहन दुर्घटना योजना) (CTP) के अधीन कवर्ड (बीमे से सुरक्षित) हैं। आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप State Insurance Regulatory Authority (राज्य बीमा विनियामक प्राधिकरण) (SIRA) द्वारा आवश्यक तरीके के अनुसार क्लेम पूरे करके जमा करें।
- **लोक दायित्व:** यदि आप किसी अन्य पक्ष की लापरवाही के कारण चोटग्रस्त हुए/हुई हैं तो आप मुआवजे के पात्र हो सकते/सकती हैं। कृपया अस्पताल के कर्मचारियों को इसकी सूचना दें।

हमारे अस्पताल के कर्मचारी क्लेम प्रक्रिया पूरी करने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आपका क्लेम नामंज़ूर हो जाता है तो आपके लिए वैकल्पिक फैसला लेना ज़रुरी होगा।

यदि आप एक विदेशी विज़िटर (आगंतुक) हैं तो यदि मुआवजे के लिए आपका क्लेम नामंज़ूर होता है तो उस परिस्थिति में संपूर्ण खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Department of Veterans Affairs (सेवानिवृत्त सैनिक मामला विभाग) (DVA) के कार्ड धारक

आपकी पात्रता की पुष्टि करने के लिए अस्पताल के कर्मचारी DVA से संपर्क करेंगे।

गोल्ड कार्ड – सभी समस्याओं के लिए एक शेयर्ड वार्ड में एक प्राइवेट पेशेन्ट के तौर पर आपका इलाज किया जा सकता है।

व्हाइट कार्ड – उन समस्याओं के लिए एक शेयर्ड वार्ड में एक प्राइवेट पेशेन्ट के तौर पर आपका इलाज किया जा सकता है जो DVA के लिए पात्र हों।

वह भर्ती जो DVA के लिए पात्र न हो – आपको यह फैसला लेना होगा कि आपका इलाज पब्लिक पेशेन्ट के तौर पर किया जाए या प्राइवेट पेशेन्ट के तौर पर।

Australian Defence Force Personnel (ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा बल कर्मी) (ADF)

यदि आप ADF में कार्यरत एक सदस्य हैं तो आपका इलाज एक शेयर्ड कमरे में एक शुल्क लिए जाने वाले रोगी के तौर पर किया जाएगा।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी डिफेंस फोर्स सर्विस संख्या (PM संख्याएँ) प्रदान करते/करती हैं।

नियोजित भर्ती के लिए कृपया भर्ती किए जाने से पहले अस्पताल को Defence Approval Number (सुरक्षा बल अनुमोदन संख्या) (DAN) प्रदान करें। इसे **1800 IM SICK** (1800 46 7425) पर फोन करके प्राप्त किया जा सकता है।

रखरखाव देखभाल / नर्सिंग होम प्रकार के रोगी (नॉन-एक्यूट [गैर-घातक] देखभाल प्राप्त करने वाले रोगी)

यदि आप एक DVA, प्राइवेट या पब्लिक पेशेन्ट हैं और आपको अब अस्पताल के स्तर की देखभाल की ज़रुरत नहीं हैं और किसी ऑस्ट्रेलियाई अस्पताल में आपके द्वारा बिताई अवधि सात दिनों से अधिक के विराम के

बिना 35 दिन से अधिक होती है, तो आप रखरखाव/नर्सिंग होम प्रकार के रोगी बन जाएँगे। आपके लिए यह ज़रुरी होगा कि आप दैनिक शुल्क का भुगतान करें।

कोई बदलाव किए जाने से 7 दिन पहले अस्पताल लिखित तौर पर आपको इसकी सूचना देगा। यदि आप Centrelink पेन्शन या भत्ता प्राप्त करते/करती हैं, तो आप किराया सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया 136 240 या servicesaustralia.gov.au पर संपर्क करें।

विदेशी आगंतुक

यदि आप एक विदेशी आगंतुक हैं, तो कोई आवश्यक आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाएगी।

अस्पताल में आपकी भर्ती के दौरान आपके द्वारा बिताए समय से जुड़े सभी खर्चों का भुगतान करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- आवास
- डॉक्टर की फीस
- कृत्रिम अंग
- फॉर्मेसी (दवाखाना)
- रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सहित रोग-निदान

वह सूचना जो अस्पताल आने पर आपको उपलब्ध कराने की ज़रुरत होगी:

- बीमाकर्ता द्वारा भुगतान या अग्रिम भुगतान की गारंटी
- आपका पासपोर्ट और वीज़ा विवरण
- आपके मूल देश में आपका पता
- ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आप रह रहे/रही हैं, उसका पता
- ई-मेल पता

हो सकता है कि आप अपने ट्रेवल या हेल्थ इंश्योरर (यात्रा या स्वास्थ्य बीमाकर्ता) से अपने इलाज के कुछ या सभी खर्च का क्लेम करने में सक्षम हों। आपकी पॉलिसी में शामिल किसी ऐक्सेस का भुगतान किया जाना ज़रुरी है।

ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के बीच पारस्परिक स्वास्थ्य संबंधी समझौते हुए हैं। आपको अपने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अपनी पारस्परिक पात्रता की चर्चा करनी चाहिए।

फैसला लेने के आपके विकल्प:

भर्ती होने वाले सभी रोगियों या कानूनी तौर पर प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए यह ज़रुरी है कि वे वित्तीय फैसला लें या फैसला लेने के घोषणा फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।

अपना फैसला करने से पहले, कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप, या आपका प्रतिनिधि आपको उपलब्ध विकल्प समझते हैं। हमारे कर्मचारी आपके किन्हीं सवालों में आपकी मदद कर सकते हैं और यदि ज़रुरी हो तो दुभाषिए का प्रबंध कर सकते हैं।

यदि रोगी फैसला लेने में असक्षम हो तो क्या होता है?

यदि आप सूचित फैसला लेने में नैदानिक तौर पर असक्षम हों या आपमें ऐसा फैसला लेने की क्षमता का अभाव हो, तो यह फैसला एक कानूनी तौर पर प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिया जा सकता है अन्यथा इसे तब तक विलंबित किया जा सकता है जब तक कि आप प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम न हो जाएँ।

कानूनी तौर पर प्राधिकृत प्रतिनिधि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है:

- जो कानूनी तौर पर नियुक्त संरक्षक हो
- जो माता या पिता हो, 18 साल से कम आयु वाले रोगियों के लिए
- जिसके पास पॉवर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) हो *(Power of Attorney Act 1998के तहत प्राधिकृत)*

फैसले का विकल्प आपकी भर्ती की शुरुआत से लागू होगा।

अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण फैसले का बदलना

एक बार फैसला लिए जाने के बाद, इसे केवल अप्रत्याशित परिस्थितियों की अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि:

- आपको किसी विशेष चिकित्सीय कार्यविधि के लिए भर्ती किया जाता है और उसमें समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जिनके लिए अतिरिक्त कार्यविधियों की ज़रुरत है
- अस्पताल में आपकी भर्ती वाला समय आपका इलाज करने वाले नैदानिक कर्मचारी द्वारा मूलत: नियोजित समय से काफी हद तक अधिक है
- जब आप अस्पताल में हों तो आपकी सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती हैं, जैसे कि, नौकरी समाप्त हो जाना

जब किसी वैध फैसले को बदला जाता है, तो यह इसे बदलने की तिथि से लागू होगा। अपने फैसले में बदलाव की चर्चा करने के लिए कृपया निम्नलिखित संपर्क विवरणों का प्रयोग करें।

आपकी गोपनीयता

NSW Health Privacy Policy (NSW स्वास्थ्य गोपनीयता नीति) के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा आपके क्लेम से प्रासंगिक स्वास्थ्य जानकारी और आपके फैसले के फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी का प्रकटीकरण आपके बीमाकर्ता, आपके बीमाकर्ता के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्षों को कर सकती है।

यदि आपके कोई सवाल हैं तो कृपया हमारे अस्पताल के PLO/PPO, भर्ती या एमर्जेंसी डिपॉर्टमेंट कलर्क से पूछें।

टेलीफोन

© NSW Ministry of Health 2020